

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)-38/2024

खाद्य, पटना/दिनांक

प्रेषक,

नैय्यर इकबाल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता, बिहार।

विषय:- मांग सं0-18, मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0411 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम विपत्र कोड 18-3456001020411 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु **कुल 27,18,839/- (सताईस लाख अठारह हजार आठ सौ उनचालीस) रुपये मात्र** का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के निमित्त उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-350 दिनांक-03.01.2025 एवं संख्या-351 दिनांक-03.01.2025 में क्रमशः अंकित राशि रुपये 15,00,000/- एवं रुपये 12,18,839/- को वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-478/वि0 दिनांक-06.08.2024 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत **संलग्न तालिका के अनुसार मदवार कुल 27,18,839/- (सताईस लाख अठारह हजार आठ सौ उनचालीस) रुपये मात्र** कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्तमान उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
01	16 प्रकाशन एवं मुद्रण	01 प्रकाशन एवं मुद्रण	15,00,000	15,00,000
	योग-18-3456.00.102.0411.16- प्रकाशन एवं मुद्रण		15,00,000	15,00,000
02	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	12,19,000	12,18,839
	योग-18-3456.00.102.0411.26-विज्ञापन और प्रकाशन		12,19,000	12,18,839
	कुल योग-18-3456.00.102.0411-उपभोक्ता जागरूकता कार्यालय		27,19,000	27,18,839

2. **कुल 27,18,839/- (सताईस लाख अठारह हजार आठ सौ उनचालीस) रुपये मात्र** का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	प्रकाशन एवं मुद्रण 16 01	विज्ञापन और प्रकाशन 26 01	योग
1	2	3	4	5
1	समाहर्ता, पटना	100000	0	100000
2	समाहर्ता, नालन्दा	70000	0	70000
3	समाहर्ता, भोजपुर	70000	0	70000
4	समाहर्ता, बक्सर	70000	0	70000
5	समाहर्ता, रोहतास	70000	0	70000
6	समाहर्ता, कैमूर (भभुआ)	70000	0	70000
7	समाहर्ता, गया	0	98839	98839
8	समाहर्ता, औरंगाबाद	70000	0	70000
9	समाहर्ता, नवादा	70000	0	70000
10	समाहर्ता, जहानाबाद	70000	0	70000
11	समाहर्ता, मुजफ्फरपुर	70000	0	70000
12	समाहर्ता, सीतामढ़ी	0	70000	70000
13	समाहर्ता, शिवहर	0	70000	70000
14	समाहर्ता, वैशाली	0	70000	70000
15	समाहर्ता, मोतीहारी (पू0चम्पारण)	70000	0	70000
16	समाहर्ता, बेतिया (प0चम्पारण)	0	70000	70000

17	समाहर्ता, सारण (छपरा)	70000	0	70000
18	समाहर्ता, सीवान	70000	0	70000
19	समाहर्ता, गोपालगंज	70000	0	70000
20	समाहर्ता, दरभंगा	70000	0	70000
21	समाहर्ता, मधुबनी	0	70000	70000
22	समाहर्ता, समस्तीपुर	70000	0	70000
23	समाहर्ता, सहरसा	0	70000	70000
24	समाहर्ता, सुपौल	0	70000	70000
25	समाहर्ता, मधेपुरा	70000	0	70000
26	समाहर्ता, भागलपुर	0	70000	70000
27	समाहर्ता, बाँका	0	70000	70000
28	समाहर्ता, मुंगेर	0	70000	70000
29	समाहर्ता, शेखपुरा	0	70000	70000
30	समाहर्ता, लखीसराय	0	70000	70000
31	समाहर्ता, जमुई	70000	0	70000
32	समाहर्ता, खगड़िया	70000	0	70000
33	समाहर्ता, बेगुसराय	0	70000	70000
34	समाहर्ता, पूर्णियाँ	0	70000	70000
35	समाहर्ता, अररिया	0	70000	70000
36	समाहर्ता, किशनगंज	70000	0	70000
37	समाहर्ता, कटिहार	70000	0	70000
38	समाहर्ता, अरवल	0	70000	70000
	कुल योग:-	1500000	1218839	2718839

3. सभी जिला पदाधिकारी (पटना को छोड़कर) अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तथा जिला पदाधिकारी, पटना, अपर समाहर्ता (आपूर्ति) पटना को राशि उपआवंटित करेंगे।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. राशि का व्यय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारों को जन-मानस तक पहुँचाने के लिए जिलों में होर्डिंग लगाने अथवा पम्पलेट इत्यादि वितरण का कार्य संपादित करने के निमित्त किया जायेगा। इसके इतर राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

6. राशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)-38/2024

खाद्य, पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)-38/2024

खाद्य, पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)-38/2024

खाद्य, पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 02 एवं 05/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।

